



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उपग्रह सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

E-Mail : medicalcell@upptcl.org

संख्या:-79- मेडिकल सेल/पाट्टाकालि/2026/मे0से0(टी0सी0- II)OPD

दिनांक: 30 अप्रैल, 2026

विषय :- लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश संख्या-2335-औ0सं0-17/पाकालि/2020-11(4)एफ/86 (वो0-111) दिनांक 27.08.2020 में निहित व्यवस्था/प्राविधानानुसार विभागीय सेवकों/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं पारिवारिक पेंशनरों व उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0-3900-औ0सं0-17/पाकालि/2023 दिनांक 28.08.2023 एवं 350-औ0सं0-17/पाकालि/2024-11(04)एफ/86(वो0-3) दिनांक 29.01.2024 द्वारा दिनांक 30.04.2026 तक पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता अवधि के अनुक्रम में निरन्तरता प्रदान करते हुए दिनांक 01.05.2026 से 31.07.2026 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

- बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु केवल औषधियों/दवाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। रक्त व अन्य परीक्षण/जॉच में हुए व्यय, तथा भोजन/न्यूटीशस वैल्यू बढ़ाने सम्बन्धी दवायें/टॉनिक तथा साफ सफाई सेनीटेशन आदि से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- बाह्य रोगी के रूप में किसी भी चिकित्सालय में करायी गयी कीमथेरेपी/रेडियोथेरेपी की चिकित्सा विधि एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाओं आदि पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी। सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की प्रतिपूर्ति तथा डायलिसिस के व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती आदेशों के अन्तर्गत यथावत् अनुमन्य होगी।

निम्नांकित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1001-औ0सं0/2026-11(28)ए0एस0/2004 (वाल्चूम-3) दिनांक 10.04.2026 द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0-2025 की मानक दरें ही अनुमन्य की जायेंगी :-

क्र0सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता अवधि
1	फातिमा हास्पिटल महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
2	सेन्ट जोसेफ हास्पिटल गोमती नगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
3	सेन्ट मैरी पॉलीक्लीनिक, गुडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
4	नूर मंजिल साइक्याट्रिक सेण्टर, लालबाग, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
5	चिरंजीव हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, 2/ 57, विनय खण्ड-2, गोमतीनगर, लखनऊ,	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
6	अवध हास्पिटल, सिंगारनगर, कानपुर रोड आलमबाग, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
7	शेखर हास्पिटल, चर्च रोड इन्दिरानगर, सी-ब्लॉक, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
8	चन्द्रा मंदर एण्ड आई केयर, 4/43, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
9	ओ0पी0 चौधरी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, चौधरी बिहार, रायबरेली रोड, लखनऊ	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
10	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेण्टर, बी-55 एण्ड सी-42, मन्दिर मार्ग, महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
11	स्कार्टई0एन0टी0 हॉस्पिटल, महानगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
12	फोर्ड (नोवा) हॉस्पिटल, विकास खण्ड-1, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

13	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एण्ड ट्रामा सेण्टर, प्लाट नं०-एन०एच०-32, एच०ओ०-1, सेक्टर- ओमेगा-1 ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्धनगर)	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
14	सेण्ट ल्यूक्स हॉस्पिटल, साकेत, मेरठ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
15	लोकप्रिय हॉस्पिटल सम्राट पैलेस, गढ़ रोड़ मेरठ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
16	धनवन्तरि जीवन रेखा हॉस्पिटल, 1-साकेत, मेरठ।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
17	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल एवं रीजनल कैंसर सेण्टर, इलाहाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
18	नाजरथ हॉस्पिटल, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
19	जीवन ज्योति हॉस्पिटल, फाफामऊ, इलाहाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
20	गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
21	हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
22	काशी हॉस्पिटल, भिखारीपुर, हाइडिल गेट, डी०एल०डब्लू, चुनार रोड़, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
23	बी०के० हार्ट इन्स्टीट्यूट प्रा०लि०, नेवादा डी०एल०डब्लू रोड़, वाराणसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
24	नयति मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सांवरिया गैस स्टेशन के पीछे, नेशनल हाईवे-2, आगरा बाई पास रोड़, मथुरा।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
25	आई०आई०एम०टी० हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, गणेशनगर, लॉयर्स कालोनी, बाईपास रोड़, आगरा।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
26	हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल, सिविल लाइन्स, झाँसी।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
27	विवेकानन्द हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कांठ रोड़ मुरादाबाद।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
28	क्लैरा स्वेन मिशन हॉस्पिटल, बरेली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
29	धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर, पीलीभीत रोड़, बरेली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
30	डा० जवाहर लाल रोहतगी स्मारक नेत्र एवं एसोसिएटेड रोहतगी हॉस्पिटल, सर्वोदय नगर, कानपुर।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
31	ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
32	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
33	सरगंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
34	टाटा मैमोरियल हॉस्पिटल, डा० ई बोरगोस रोड़, परेल, मुम्बई।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
35	शंकर नेत्रालय, चेन्नई।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक
36	अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई।	01.05.2026 से 31.07.2026 तक

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:- 79(1) मेडिकल सेल/पाट्राकालि/2026-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन लि०, शक्ति भवन/उ०प्र० एस०एल०डी०सी० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(कार्य एवं परि०)/(सं० एवं नि०)/(वा० एवं निय०)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(एस०एल०डी०सी०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ।